अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 17.03.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा लूणसरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 514,297 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 379,68,512 की भूमि का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 379,68,512 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 02.08.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 02.08.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 27 दिनांक 03.1.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी मदनसिंह, लक्ष्मणसिंह, चन्दनसिंह, समन्दर कंवर ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान कौशल तथा भू.अभि. निरीक्षक लुणसरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 2 समन्दर कंवर का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा लुणसरा के खेत खसरा नंबर 297 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 379 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नंबर 514 रकबा 1.3921 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 68 रकबा 1.2221 हैक्टेयर, खसरा नंबर 512 रकबा 2.1529 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषिज करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा लुणसरा के खेत खसरा नंबर 297 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 379 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नंबर 514 रकबा 1.3921 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 68 रकबा 1.2221 हैक्टेयर, खसरा नंबर 512 रकबा 2.1529 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषिज करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी लक्ष्मणसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 379 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से 0.8579 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खेत खसरा नंबर 514 रकबा 1.

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3921 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 68 रकबा 1.2221 हैक्टेयर में से 0.6151 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

2. वादी चन्दनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 379 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से 0.5990 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खेत खसरा नंबर 68 रकबा 1.2221 हैक्टेयर में से 0.6070 हैक्टेयर उतरी भाग व खसरा नंबर 1928/512 रकबा 2.1529 हैक्टेयर में से 1.6673 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 297 रकबा 1.4083 हैक्टेयर अर्थात 8.14 बीघा पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 समन्दर कंवर के हक बंट कब्जा काश्त में कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

31/03/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner